न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/04/2025 रजू दिनांकः 08.01.2025 रजि0 न0 2025/4

अपीलार्थीः–

श्री रामहर्ष सिंह, निवासी 2/66, अरावली विहार अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई./2024/9765 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन कमांक 7258/24 14.11.2024 के द्वारा सूचना/प्रतियां चाही गई थी। आवेदन पत्र में बिन्दू अस्पष्ट है तथा कमांक एवं दिनांक अंकित नहीं है। न्यास कार्यालय के पत्र कमांक 7522 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत निरस्त किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना के कम में न्यास पत्रांक 7522 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा के अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **28.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)